दैनिक जागरण 05/03/2025

कापीराइट एक्ट, पेटेंट के बारे में विद्यार्थियों को दिए टिप्स

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते वक्ता। • सौजन्य विज्ञप्ति

जागरण संवाददाता • अंबाला : गांधी मेमोरियल नेशनल कालेज अंबाला छावनी में सीआरसी यूनिट द्वारा कालेज के रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के सहयोग से कापीराइट नैतिक विचार विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फैकल्टी आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के डीन प्रोफेसर डा. हरीश धुरेजा बतौर विशेषज्ञ शिरकत की। प्राचार्य डा. रोहित दत्त ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया एवं वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों से रूबरू करवाया। डा. हरीश धुरेजा ने बताया कि भारत का कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा संरक्षण का एक रूप है जो कापीराइट अधिनियम, 1957 के तहत दिया गया है। सीआरसी यूनिट की संयोजक डा. भारती सुजान, प्रो. श्याम रहेजा एवं प्रो. कमलप्रीत कौर, डा. कुलदीप यादव सहित अन्य मौजूद रहे।